लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1592

जिसका उत्तर बुधवार, 04 दिसंबर, 2024 को दिया जाएगा

एफएमसीजी कंपनियों द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि

1592. श्री गिरिधारी यादव:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राजमर्रा की उपभोक्ता वस्तुओं का विनिर्माण करने वाली देश की प्रमुख एफएमसीजी कंपनियां सितंबर, 2024 की तिमाही में लाभ में कमी को देखते हुए कीमतें बढ़ाने पर विचार कर रही हैं;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप चाय, बिस्कुट, तेल, शैम्पू आदि जैसी दैनिक उपभोग योग्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ने की आशंका है;

(ग) क्या कीमतों में इस वृद्धि से निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों पर मुद्रास्फीति की मार पड़ने की आशंका है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का प्रस्ताव एफएमसीजी कंपनियों द्वारा उनके लाभ अंतर के आधार पर कीमतों में प्रस्तावित वृद्धि पर रोक लगाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक पूरा होने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री बी. एल. वर्मा)

(क) से (ङ): उपभोक्ता मामले विभाग, एफएमसीजी कंपनियों द्वारा निर्मित उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य निर्धारण के संबंध में विशिष्ट आंकड़ों का रख-रखाव नहीं करता है।

उपभोक्ता मामले विभाग, देश भर में राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा केंद्रीय सहायता से स्थापित 555 मूल्य निगरानी केंद्रों द्वारा प्रस्तुत चयनित आवश्यक खाद्य वस्तुओं के दैनिक खुदरा और थोक मूल्यों की निगरानी करता है। कीमतों और सांकेतिक मूल्य प्रवृत्तियों की दैनिक रिपोर्ट का उचित विश्लेषण किया जाता है, ताकि बफर से स्टॉक जारी करने, स्टॉकहोल्डिंग संस्थाओं द्वारा स्टॉक का खुलासा करने, स्टॉक सीमा लगाने, आयात शुल्क को युक्तिसंगत बनाने, आयात कोटा में बदलाव, वस्तु के निर्यात पर प्रतिबंध आदि जैसे व्यापार नीतिगत साधनों में परिवर्तन पर उचित निर्णय लिए जा सकें।

कृषि-बागवानी वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए, सरकार बाजार में कीमतों को नियंत्रित करने के लिए संतुलित और लक्षित रिलीज के माध्यम से बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए दालों और प्याज का बफर स्टॉक बनाए रखती है। खुदरा बाजार में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के एक उपाय के रूप में, बफर स्टॉक से दालों के एक हिस्से को भारत दाल ब्रांड के तहत किफायती कीमतों पर उपभोक्ताओं को खुदरा बिक्री के लिए दालों में परिवर्तित किया जाता है। इसी प्रकार, भारत ब्रांड के तहत खुदरा उपभोक्ताओं को आटा और चावल रियायती मूल्य पर वितरित किया जाता है। बफर स्टॉक से प्याज को थोक बाजारों और खुदरा दुकानों के माध्यम से उच्च मूल्य उपभोक्ता केंद्रों में कीमतों को नियंत्रित करने के लिए एक अंशांकित और लक्षित तरीके से जारी किया जाता है। प्रमुख उपभोग केन्द्रों पर स्थिर खुदरा दुकानों और मोबाइल वैन के माध्यम से खुदरा उपभोक्ताओं के बीच प्याज 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से वितरित किया जाता है। इन उपायों से दालें, चावल, आटा और प्याज जैसी आवश्यक खाद्य वस्तुएं उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने और कीमतों को स्थिर करने में भी मदद मिली है।

गरीबों के लिए खाद्यान्न की पहुंच और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने 1 जनवरी, 2024 से अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार (अर्थात प्रति एएवाई परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न और प्राथमिकता वाले परिवार के मामले में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न) मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

****